समाहरणालय, गुमला

(जिला योजना)

प्रबंधन समिति, बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क, गुमला।

(बंदोबस्ती सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क, परिसर गुमला में अवस्थित कैफेटेरिया का दिनांक 30.01.2018 से 30.01.2021 तक तीन वर्षो तक सुचारू रूप से संचालन के लिए बंदोबस्ती हेतु दिनांक 19.01.2018 को अपराह्न 01:00 बजे तक इच्छूक एवं अनुभवी प्रस्तावकों से प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। प्राप्त प्रस्तावों को उसी दिन अपराह्न 03:30 बजे उपायुक्त, गुमला के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी एवं डाक के द्वारा अधिकतम बोली के आधार पर बंदोबस्ती की जायेगी।

क्र0	बंदोबस्ती हेतु स्थल का नाम	न्यूनतम बोली की वार्षिक राशि	जमानत की राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क, गुमला में अवस्थित कैफेटेरिया	61,000	10,000	—

प्रस्ताव के साथ जमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो सचिव, बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क, गुमला के नाम से गुमला में भुगतेय हो, जमा करना होगा। बंदोबस्ती संबंधी निर्धारित शर्तो एवं शेष जानकारी जिला योजना कार्यालय, गुमला के सूचना पट्ट एवं जिला के वेबसाईट www.gumla.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण रद्द करने का अधिकार अध्यक्ष/सचिव, प्रबंधन समिति, बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क, गुमला के पास सुरक्षित रहेगा, जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। स्थानीय एवं पूर्व से होटल/रेस्टुरेंट संचालक प्रस्तावकों को अन्य तथ्य समान रहने पर प्राथमिकता दी जायेगी।

ह0/-
उपायुक्त,
—सह—
अध्यक्ष, बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क,
गुमला।

ज्ञापांक :— 48 वि0मु0ए0पा0, गुमला दिनांक :— 5/1/18

प्रतिलिपि :—

1. स्थानीय सम्पादक, प्रभात खबर/हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण/दैनिक भास्कर/खबर मंत्र, गुमला को अपने दैनिक समाचार पत्र में एक दिन के संस्करण में अधिकतम रू0 3,000/— के भीतर प्रकाशानार्थ प्रेषित।
2. सूचनापट्ट पर प्रकाशानार्थ/प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
3. वेब मैनेजर, अपर समाहर्त्ता, गुमला को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर विज्ञापन संबंधी विषयवस्तु एवं निर्धारित शर्त एवं नियम स—समय अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
—सह—
अध्यक्ष, बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क,
गुमला।

समाहरणालय, गुमला

(जिला योजना)

प्रबंधन समिति, बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क, गुमला।

बंदोबस्ती की नियम एवं शर्तें

1. डाक के समय, कैफेटेरिया के सुचारू रूप से संचालन संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
2. डाक के न्यूनतम बोली की राशि मो0 : 61,000/– रू0 वार्षिक की होगी। अधिकतम डाक की निर्धारित राशि को दो बराबर किस्तो में जमा करना होगा, जिसमें से प्रथम किस्त की राशि उसी दिन या अधिकतम तीन दिनों के अंदर जमा करना आवश्यक है। शेष द्वितीय किस्त की राशि 15 दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा।
3. डाक प्राप्तकर्त्ता को प्रथम किस्त की राशि जमा करते हुए सचिव, प्रबंधन समिति के साथ एकाराारनामा करना होगा।
4. सफल डाक प्राप्तकर्त्ता द्वारा प्रथम किस्त की राशि को बैंक ड्राफ्ट जो सचिव, बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क, गुमला के नाम भुगतेय हो, जिला योजना कार्यालय, गुमला में समर्पित करने एवं एकरारनामा करने के पश्चात कैफेटेरिया का आवश्यक मरम्मति एवं रंगरोगन हेतु चाबी, हस्तगत कराया जायेगा। परन्तु संचालन प्रारम्भ करने की अनुमति सम्पूर्ण वार्षिक देय राशि के जमा करने के पश्चात् ही दी जायेगी।
5. सफल डाक प्राप्तकर्त्ता को त्रिवर्षीय अनुबंध काल के दौरान कम से कम दो बार कैफेटेरिया का रंगरोगन कराना अनिवार्य होगा ताकि कैफेटेरिया परिसर की सुदंरता एवं मानकता सम्पूर्ण पार्क परिसर के अनुरूप दृष्ट्रीगोचर हो।
6. कैफेटेरिया में शराब, सिगरेट, गुटखा या अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं की जायेगी और न ही नशीले पदार्थों का सेवन किया जायेगा।
7. कैफेटेरिया के संचालन हेतु सभी आवश्यक सामग्रियों, उपस्कर एवं फर्नीचर की व्यवस्था डाक प्राप्तकर्त्ता को स्वंय करनी होगी।
8. कैफेटेरिया की सामग्रियाँ/भोज्य पदार्थ उच्च गुणवत्ता युक्त/स्वास्थ्यप्रद एवं बाजार मूल्य के अनुरूप होगी। गुणवत्ता की जाँच समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी/समिति द्वारा किया जायेगा। सामग्रियों के मूल्य एवं किसी प्रकार की दर में बढ़ोतरी का अनुमोदन सचिव, प्रबंधन समिति से प्राप्त कराना आवश्यक होगा।
9. कैफेटेरिया में प्रयुक्त होने वाले विद्युत विपत्र का भुगतान डाक प्राप्तकर्त्ता को स्वंय करना होगा। इस हेतु कैफेटेरिया में विद्युत कनेक्शन एक माह के अंदर स्वंय (डाक प्राप्तकर्त्ता) लेना अनिवार्य होगा।
10. कैफेटेरिया एवं उसके परिसर की साफ–सफाई तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था/बागवानी की जिम्मेदारी डाक प्राप्तकर्त्ता की होगी। इसमें लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जायेगी तथा बारम्बार निदेश की अवहेलना होने पर यदि उक्त कार्य प्रबंधन समिति द्वारा कराया जाता है तो उसका भुगतान डाक प्राप्तकर्त्ता को करना होगा।
11. कैफेटेरिया में ऐसे सभी कार्यो की मनाही होगी जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो अथवा पार्क की छवि धूमिल हो।
12. प्रबंधन समिति, एग्रो पार्क द्वारा समय–समय पर कैफेटेरिया का निरीक्षण किया जायेगा एवं पार्क हित में दिए गए निदेशों का अनुपालन कैफेटेरिया के संचालक को करना होगा।
13. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के पूर्व भी कैफेटेरिया का अनुबंध को रद्द किया जा सकता है एवं इस संबंध में प्रबंधन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
14. कैफेटेरिया परिसर का पार्टी आदि कार्य हेतु प्रयोग से पूर्व अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं पार्टी के आयोजन हेतु 5000/– रू0 का अतिरिक्त शुल्क प्रबंधन समिति को भुगतेय होगा। कैफेटेरिया में आयोजित पार्टी कैफेटेरिया परिसर तक समिति रहेगी ताकि पार्क के अन्य पर्यटकों को असुविधा न हो।
15. कैफेटेरिया में उपलब्ध कराये जाने वाले सभी प्रकार के पेय एवं भोज्य पदार्थ स्वास्थ्य वर्धक हो इसकी संपूर्ण जवाबदेही कैफेटेरिया संचालक की होगी।
16. कैफेटेरिया प्रतिदिन खुलने एवं बंद होने का वही समय होगा जो बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क का होगा। विशेष परिस्थिति में सचिव, प्रबंधन समिति, बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क, गुमला कि अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
17. सफल डाक प्राप्तकर्त्ता कैफेटेरिया परिसर के वर्त्तमान भवन एवं आधारभूत संरचना में किसी प्रकार का परिवर्त्तन या तोड़फोड़ नहीं करेंगे। विशेष परिस्थिति में सचिव, प्रबंधन समिति, बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क, गुमला की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा।

उपायुक्त,

–सह–

अध्यक्ष, बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क,

गुमला।